न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी — श्री छगनलाल गोयल, आर.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या — 30/2018

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
कानसिंह पुत्र अखेसिंह, जाति रावणा राजपूत,निवासी माण्डवला, तहसील व जिला जालोर		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जालोर

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध आदेश तहसीलदार जालोर ,दिनांक 20.8.2018(प्रकरण सं.50/18)

उपस्थिति :–
1.श्री चुन्नीलाल पुरोहित ,अभिभाषक,अपीलांट की ओर से।
2.श्री छोटूसिंह,सरकारी अभिभाषक,रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांक 24.6.2019

1. अपीलांट के अनुसार अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि पटवारी हल्का माण्डवला के आधार पर तहसीलदार जालोर द्वारा अपीलांट को संवत् 2075 में खसरा नम्बर 437 रकबा 1.20 हेक्टर किस्म गैर मुमकिन पर रकबा 0.4 हेक्टर भूमि पर कब्जा ,पक्का कमरा का अतिक्रमण मानते हुए प्रकरण सं. 50/18 दर्ज कर ,नोटिस जारी कर ,आबाद मकान पर चस्पानगी बताते हुए तामील मानकर दिनांक 20.8.2018 को बेदखली व जुर्माना का आदेश दिया है। आदेश 6 सी.पी.सी.के अन्तर्गत चस्पानगी न्यायालय के आदेश से ही हो सकती है। दिनांक 23.7.18 को उत्तमसिंह की उपस्थिति बताते है तथा साक्ष्य,सबूत हेतु पत्रावली रखी जाती है। उत्तमसिंह प्रकरण में पक्षकार नही है,उनके खिलाफ कोई नोटिस नही है,अदालत मातहत द्वारा उत्तमसिंह की तामील मानकर जवाब व सबूत के लिए अवसर दिया जबकि अपीलांट को मुकद्में की जानकारी नही थी, पत्रावली दिनांक 6.8.18 को रखी गई ,दिनांक 6.8.18 को अपीलांट की पुत्री जो विवाहित है,उसकी उपस्थिति बताकर,आदेश हेतु दिनांक 20.8.18 को रखी गई, दिनांक 20.8.18को पत्रावली में अपीलांट को अनुपस्थित बताकर मौके पर बेदखल व जुर्माना के आदेश दिये गये । न्यायालय द्वारा अपीलांट के धारा 91 के कानून के अन्तर्गत कोई कार्यवाही नही की गई ,न तो अपीलांट को नोटिस दिया एवं न ही अपीलांट उपस्थित हुआ,न ही अपीलांट को गवाह, सबूत पेश

24/6/19
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
जालोर (राज.)

करने का अवसर दिया। न्यायालय द्वारा सी.पी.सी. की पालना नही की गई है। अपीलांट का विवादग्रस्त भूमि पर कई वर्षो से कब्जा है। ग्राम पंचायत माण्डवला द्वारा सन् 1991 में भी इस भूमि के सबंध में कब्जे के प्रमाण पत्र दिये हुए थे।यह भूमि आबादी में आई हुई है, केवल मात्र सैटलमेन्ट की गल्ति से गैर मुमकिन दर्ज की गई जबकि पंचायत माण्डवला द्वारा सन् 1998 में भी इस भूमि के सबंध में प्रमाण पत्र जारी किये हुए है।अपीलांट उक्त भूमि पर मवेशी बांध रहा था, मौके पर जलाउ लकडी ,पत्थर आदि पडे हुए है।अतः अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 20.8.2018 निरस्त करावे तथा अपीलांट को सुनवाई का आदेश देते हुए पुनःआदेश दिलावे। अपीलांट ने अपील में फहरिस्त के साथ निर्णय दिनांक 20.8.18 आदि की नकले पेश की, इस पर अपील दर्ज कर रेस्पोडेन्ट को सम्मन जारी किया व रैकार्ड तलब किया गया।

2. प्रार्थी रूपाराम पुत्र रतनाजी,जाति चौधरी,निवासी माण्डवला ने इसमें पक्षकार बनाने हेतु दिनांक 23.8.18 को प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र पेश किया जो बाद सुनवाई के दिनांक 18.9.2018 को खारिज किया गया।

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।अपीलांट के अभिभाषक ने अपने अपील प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को बहस में दोहराया व बताया कि अपीलांट का परिवार बाहर गांव में रहता है,घर बंद है , घर पर कोई व्यक्ति हाजिर नही है ,अदालत मातहत ने नोटिस चस्पानगी बताते हुए तामील मानी जाकर कार्यवाही की गई है,दिनांक 10.8.17को मुकद्मा दर्ज किया,दिनांक 23.7.18 को पेशी पर उत्तमसिंह की उपस्थिति बताई है जबकि इस प्रकरण में उत्तमसिंह पक्षकार नही था, इसमें साक्ष्य सबूत हेतु अवसर देकर पेशी 6.8.18रखी गई,दिनांक 6.8.18को अपीलांट की पुत्री की उपस्थिति बताकर आगामी पेशी 20.8.18 को रखी गई, दिनांक 20.8.18को अपीलांट की अनुपस्थिति बताकर मौके से बेदखली व जुमाने का आदेश दिया गया है, आदेश 6 सी.पी.सी.के अन्तर्गत चस्पानगी न्यायालय के आदेश से ही हो सकती है। अपीलांट का विवादग्रस्त भूमि पर कई वर्षो से कब्जा हैइस सबंध में ग्राम पंचायत ने वर्ष 1991,1998 में कब्जे के प्रमाण पत्र दिये है,यह भूमि आबादी में आई हुई केवल मात्र सैटलमेन्ट की गल्ति से यह भूमि गैर मुमकिन दर्ज की गई,अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 20.8.18 निरस्त करावे। इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट की ओर से सरकारी वंकील ने बताया कि अपीलांट कानसिंह द्वारा संवत् 2075 में माण्डवला के खसरा नम्बर 437 रकबा 1.20 हेक्टर किस्म गैर

जालोर (राज.) 24/6/19

मुमकिन भमि में से 400 वर्ग मीटर पर कब्जा कर पक्का कमरा बनाने से तहसीलदार जालोर द्वारा दिनांक 20.8.18 को बेदखली व जुर्माना का आदेश पारित किया गया है,भूमि की किस्म गैर मुमकिन यानि राजकीय भूमि होने से आदेश सही पारित किया गया है। अतःअपीलांट की अपील खारिज करावे।

4. बहस पर मनन किया व रैकार्ड का अवलोकन किया गया। अपीलांट कानसिंह द्वारा संवत् 2075 में माण्डवला के खसरा नम्बर 437 रकबा 1.20 हेक्टर किस्म गैर मुमकिन गोचर भमि में से 400 वर्ग मीटर पर कब्जा कर पक्का कमरा बनाने से पटवारी हल्का माण्डवला की रिपोर्ट जिसको भू अभिलेख निरीक्षक माण्डवला द्वारा जांच की गई है,अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार जालोर को पेश करने पर प्रकरण सं. 50/18 दिनांक 10.7.18 को दर्ज किया जाकर, अपीलांट को नोटिस जारी किया गया जिसकी आगामी तारीख पेशी 23.7.18 को रखी गई, दिनांक 23.7.18 को गैर सायल की ओर से श्री उत्तमसिंह पुत्र हेमसिंह रा.राजपूत,निवासी सायला जो गैरसायल का जवाई लगता है,उपस्थित हुआ व उसको साक्ष्य,सबूत हेतु अवसर दिया जाकर आगामी तारीख पेशी 6.8.18 को दी गई, दिनांक 6.8.18 को अपीलांट की पुत्री बसंती अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुई है जिसको साक्ष्य,सबूत पेश करने का अवसर दिया तथा आयन्दा पेशी पर दिनांक 20.8. 2018 दी गई ,दिनांक 20.8.2018 को बेदखली व जुर्माना का आदेश पारित किया गया है।

सवार श्री रामलाल, कार्यालय तहसीलदार जालोर की रिपोर्ट अनुसार आसामी ने तारीख पेशी 23.7.18का नोटिस लेने से इन्कार करने पर,आसामी के खुले मकान पर दो मौतबिरान् के रूबरू चस्पा किया गया है। आदेश 5 रूल 17 CPC अनुसार " जहां प्रतिवादी या उसका अभिकर्ता या उपरोक्त जैसा अन्य व्यक्ति अभिस्वीकृति पर हस्ताक्षर करने से इन्कार करता है, या जहां तामील करने वाला अधिकारी सभी सम्यक्और युक्तियुक्त तत्परता बरतने के पश्चात् ऐसे प्रतिवादी को न पा सके (जो अपने निवास स्थान से उस समय अनुपस्थित है,जब उस पर समन की तामील उसे निवास स्थान पर की जानी है और युक्तियुक्त समय के भीतर उसके निवास स्थान पर पाये जाने की संभावना नही हैं)और ऐसे कोई अभिकर्ता नही है जो समन की तामील का प्रतिग्रहण उसकी ओर से करने के लिए सशक्त है और न कोई ऐसा व्यक्ति है जिस पर तामील की जा सके,वहां तामील करने वाला अधिकारी उस गृह के ,जिसमें प्रतिवादी मामूली तौर से निवास करता है या कारबार करता है या अभिलाभ के लिए स्वयं काम करता है। ,बाहरी द्वार पर या किसी अन्य सहज दृश्य भाग पर समन की एक प्रति लगाएगा और तब वह मूल प्रति को उस पर पृष्ठांकित या उससे उपाबद्ध ऐसी रिपोर्ट के साथ , जिसमें यह कथित होगा कि उसने प्रति को ऐसा लगा दिया है

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
जालोर (राज.)

और वे कौनसी परिस्थितियां थी जिनमें उसने ऐसा किया, कथित होगी और जिसमें उस व्यक्ति का (यदि कोई हो)नाम और पता कथित होगा जिसने गृह पहचाना था और जिसकी उपस्थिति में प्रति लगाई गई थी,उस न्यायालय को लौटाएगा जिसने समन निकाला था।'' उपरोक्तानुसार सवार, तहसील कार्यालय जालोर अनुसार कानसिंह द्वारा नोटिस लेने से इन्कार करने पर नोटिस आसामी के खुले मकान पर दो मौतबिरान् के रूबरू चस्पा किया गया है जो तामील की परिभाषा में आता है।

इसके अलावा अधिनस्थ न्यायालय में तारीख पेशी 6.8.2018को पेशी पर अपीलांट–कानसिंह की पुत्री बसंती भी उपस्थित हुई है इससे हम यह नहीं मान सकते कि अपीलांट को इस प्रकरण बाबत् जानकारी नही है एवं साक्ष्य,सबूत का अवसर नही दिया गया हैं। अपीलांट द्वारा उक्त भूमि पर लगातार कब्जा के सबंध में कोई सबूत पेश नही किये है जिससे उसका अतिक्रमण नियमन की परिभाषा में भी नहीं आता हैं। भूमि की किस्म गैर मुमकिन गोचर यानि सरकारी भूमि होने से तहसीलदार जालोर द्वारा निर्णय सही पारित किया गया है।

अपीलांट वकील ने भी इस भूमि बाबत् किसी भी न्यायालय में कोई स्थगन होने का साक्ष्य, सबूत पेश नही किया है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

आदेश

अपीलांट द्वारा तहसीलदार जालोर के आदेश दिनांक 20.8.2018 (प्र.सं.50/18) के विरूद्ध प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल सुदा मानी जाकर,नम्बर से कम होकर,बाद तकमील तरतीब के बाजाब्ता दफ्तर दाखिल हो।

24/6/19

(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
जालोर (राज.)

निर्णय,आज दिनांक 24.6.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया।

24/6/19

(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
जालोर (राज.)